

Fax No.: 0135-2431227

Website : www.nagarnigamrishikesh.com

E-mail : npprishikesh@gmail.com

फार्म का मूल्य 10/-

# नगर निगम ऋषिकेश



जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)

व्यवसायिक सम्पत्ति - स्वकर निर्धारण प्रपत्र

पत्रावली सं०

सम्पत्ति स्वामी / अध्यासी का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

सम्पत्ति संख्या.....

मौहल्ले का नाम.....

वार्ड संख्या व नाम.....

फार्म प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य है।

15 दिन के पश्चात् 500/- प्रतिदिन जुर्माना देय होगा।

## अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

स्वामी/अध्यासी का विवरण :-

- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....  
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता.....  
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....  
(चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता.....  
(पांच) मोबाइल नं०.....  
(छः) अन्य विवरण यदि कोई हो.....

भवन या भूमि सम्बन्धी ब्यौरा.....

- (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में).....  
(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में).....  
(तीन) अन्य विवरण यदि कोई हो.....  
(क) भवन अवस्थित है :-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर   
(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर   
(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति :-

- (एक) पक्का भवन, आर. सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित   
(दो) अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस, फाइबर या टीनशेड   
(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं

भवन निर्माण का वर्ष.....

पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

वार्षिक मूल्य की गणना.....

- (क) भवन का वार्षिक मूल्य.....  
(एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराये की मासिक दर.....  
(दो) नियमावली द्वारा विहित अनावासिक (Commercial) भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक.....  
(तीन) भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर [(एक) x (दो)].....  
(चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल.....  
(पांच) भवन का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर x आच्छादित क्षेत्रफल x 12 [(तीन) x (चार) x 12].....

- (ख) भूमि का वार्षिक मूल्य.....
- (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराये की मासिक दर.....
- (दो) नियमावली द्वारा विहित अनावासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक.....
- (तीन) भूमि [(एक) x (दो)] के लिये प्राप्त किराये की मासिक दर.....
- (चार) भूमि का क्षेत्रफल.....
- (पांच) भूमि का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर x आच्छादित क्षेत्रफल x 12 [(तीन) x (चार) x 12].....

(ग) कुल वार्षिक मूल्य क (पांच) + ख (पांच).....

7. सम्पत्ति किराये पर होन की दशा में किरायेदार का नाम.....
8. कर की गणना

$$(एक) \text{ सामान्य कर} = \frac{\text{यथा अवधारित वार्षिक मूल्य} \times \text{सामान्य कर की दर}}{100}$$

$$(दो) \text{ अन्य कर (कर का नाम)} = \frac{\text{यथा अवधारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर}}{100}$$

9. जमा किये गये कर का विवरण :

क्रम सं०	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान / प्राप्ति संख्या	दिनांक	बैंक / कार्यालय का नाम

मैं.....वार्ड.....

के मौहल्ला.....में स्थित भवन संख्या..... का स्वामी / अध्यासी एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को ना तो छिपाया गया है और ना ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रपत्र - 'घ'  
(नियम 3 देखिए)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

1. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....  
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता.....  
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....  
(चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता.....  
(पांच) मोबाइल नं०.....  
(छः) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....
2. भवन या भूमि का विवरण.....  
(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में).....  
(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में).....  
(तीन) अन्य विवरण यदि कोई हो.....
3. अवस्थिति का विवरण -  
(क) भवन या भूमि अवस्थित है :-  
(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर   
(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर   
(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर   
(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति :-  
(एक) पक्का भवन, आर. सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित   
(दो) अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस, फाइबर या टीनशोड   
(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं   
टिप्पणी - कृपया प्रयोज्य खाने में सही का चिन्ह लगायें।
4. भवन निर्माण का वर्ष.....
5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....

के मौहल्ला.....में स्थित भवन संख्या.....का

स्वामी / अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को ना तो छिपाया गया है और ना ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

## प्राप्ति रसीद

1. स्वामी/अध्यासी का नाम.....
2. स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
3. भवन/भूखण्ड संख्या.....
4. मौहल्ले का नाम.....

उपरोक्त व्यवसायिक सम्पत्ति का स्व कर निर्धारण प्रपत्र 'ग' व 'घ' भर कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

हस्ताक्षर भवन स्वामी

प्रपत्र को प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक सं०..... पर दर्ज कर प्राप्ति दी जा रही है।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

## प्राप्ति रसीद

1. स्वामी/अध्यासी का नाम.....
2. स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
3. भवन/भूखण्ड संख्या.....
4. मौहल्ले का नाम.....

उपरोक्त व्यवसायिक सम्पत्ति का स्व कर निर्धारण प्रपत्र 'ग' व 'घ' भर कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

हस्ताक्षर भवन स्वामी

प्रपत्र को प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक सं०..... पर दर्ज कर प्राप्ति दी जा रही है।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

## कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश

क्र० सं०	मौहल्लों के नाम	पक्का भवन आर०सी०सी० छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो		
		सड़क की चौड़ाई			सड़क की चौड़ाई			सड़क की चौड़ाई			सड़क की चौड़ाई		
		24मी० से अधिक	12मी० से 24 मी०	12मी० से कम	24मी० से अधिक	12मी० से 24 मी०	12मी० से कम	24मी० से अधिक	12मी० से 24 मी०	12मी० से कम	24मी० से अधिक	12मी० से 24 मी०	12मी० से कम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	देहरादून मार्ग, गंगा नगर, आवास विकास, हरिद्वार मार्ग, तिलक मार्ग, रेलवे मार्ग, आदर्श नगर, हीरालाल मार्ग, महन्त परशुराम मार्ग, मुख्यर्जी मार्ग, क्षेत्र मार्ग, लाला लाजपतराय मार्ग, वेदपाठी मार्ग, मेन बाजार, घाट मार्ग, नेहरू मार्ग, सदानन्द मार्ग, ऋषिलोक कालोनी, वीरभद्र मार्ग	2.00	1.50	1.30	1.15	0.90	0.70	0.65	0.50	0.35	0.25	0.25	0.25
2	मनीराम मार्ग, गोविन्द नगर, अद्वैतानन्द मार्ग, मानवेन्द नगर, पुराना वदीनाथ मार्ग, जीवनी माई मार्ग, मालवीय मार्ग, अवधूत आश्रम मार्ग, सोमेश्वर मार्ग, शारत्री मार्ग, वनखण्डी मार्ग, आदर्श ग्राम, पुष्करमन्दिर मार्ग	1.50	1.15	0.90	0.80	0.70	0.45	0.45	0.25	0.15	0.25	0.25	0.25
3	भैरव मन्दिर, गीता नगर, न्यू सर्वहारा नगर, चन्द्रेश्वर मार्ग, चन्द्रेश्वर नगर, वाल्मीकि नगर, शान्ति नगर, रेलवे रोड, जाटव बरसी, मैसोला नगर, त्रिवेणी कालोनी	1.25	0.90	0.70	0.65	0.45	0.40	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10

## अनावासिक (Commercial) भवनों की श्रेणियों का वर्गीकरण एवं गुणक

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1.	होटल, पेईंग गेस्ट हाउस 10 कमरों तक (बगैर वातानुकूलित)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
	होटल 10 कमरों से अधिक (बगैर वातानुकूलित)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का चार गुना
	समस्त होटल / पेईंग गेस्ट हाउस (वातानुकूलित) 3 स्टार की सुविधा तक	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
	होटल 4 स्टार और उपर वाले, बार, पब, रेस्टोरेन्ट मय बार और क्लब मयबार	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का छः गुना
2.	धर्मार्थ धर्मशाला/आश्रम/होटल जहां प्रति कमरा किराया 200 रु. प्रतिदिन या अधिक हो या जो व्यवसायिक दरों पर विद्युत का उपयोग कर रहे हो	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
	मॉल्स	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का छः गुना
3.	सभी प्रकार के वाणिज्यिक भवन, शोरूम, बैंक कार्यालय, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान, ए0टी0एम0	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
4.	दुकानें / डाबा / स्टाल (क) 10 वर्ग फीट तक (ख) 100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट तक (ग) 200 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक (घ) 500 वर्ग फीट से अधिक (ङ) पूर्णतः आवश्यक सेवायें व्यवसाय सम्बन्धी स्टाल (दूध, सब्जी, फल, नाई, मोची, साईकिल-रिक्शा/टू, कीलर मेकेनिक)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का चार गुना मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
5.	(क) क्लीनिक (केवल चिकित्सीय परामर्श हेतु उपयोगित) (ख) अस्पताल / नर्सिंग होम पॉलिक्लीनिक डाइग्नोस्टिक सेन्टर, मेडिकल स्टोर, प्रयोगशालायें, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
6.	क्रीड़ा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिटनेस केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, थियेटर और सिनेमा हॉल	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
7.	(क) विना छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों, कालेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले) (ख) छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों, कालेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
8.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेंन्सी, डीपी	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
9.	सामुदायिक भवन, विवाह घर, वेडिंग प्वाइंट, कल्याण मण्डप, बेयर हाउस, गोदाम, क्लब आदि	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
10.	भवन मय मोबाइल टावर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
11.	औद्योगिक इकाईयां (क) लघु (ख) मध्यम (ग) बृहद	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
12.	समस्त प्रकार के अनावासिक भवन जो उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत न आते हों	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना

नोट : (क) पेट्रोल पम्प का जो भूमिगत क्षेत्र या सरबना भूमिगत स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है, कार्पेट एरिया की गणना के लिये जोड़ी जायेगी।

(ख) संचार/मोबाइल टावर और उसकी सहायक मशीनों के द्वारा आच्छादित किसी प्रकार के क्षेत्र को सम्पत्ति कर की गणना के लिए कार्पेट एरिया माना जायेगा।